प्रश्न सं. [क्र. 970]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/12/2024**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **20/12/2024** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **खरीदी केन्द्रों की स्थापना।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **516**) **श्रीअभय मिश्रा**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या सहकारिता विभाग द्वारा खरीदी केन्द्रों की स्थापना कर खरीदी के कार्य बावत निर्देश जारी किये गये, निर्देश की प्रति देते हुये बतावें कि रीवा जिले में कितने खरीदी केन्द्र कब-कब कहां-कहां संचालित है इनका संचालन किनके माध्यम से किया जा रहा है, समूहों के द्वारा जिन खरीदी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है उनमें किन समूहों पर अनियमितताएं पाकर कार्यवाही प्रस्तावित की गई तो कब बतावें विवरण 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित खरीदी केन्द्रों पर की जा रही अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक/213/ए/रीवा/से.वि./2024 दिनांक 19.02.2024, आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा को पत्र क्रमांक/255/रीवा/से.वि./2024 दिनांक 29.02.2024, कलेक्टर जिला रीवा को पत्र क्रमांक/651/2024 दिनांक 25.10.2024 को जांच एवं कार्यवाही हेतु लिखा गया, जिस पर कार्यवाही की स्थिति क्या है ? किन-किन पर कार्यवाही की गई बतावें अगर नहीं की गई तो क्यों ? (ग) प्रश्नांश (क) के संचालित खरीदी केन्द्रों से खरीदे गये धान एवं गेंहू परिवहन बावत किन संविदाकारों को कब-कब, किन-किन शतों पर आदेश जारी किये गये का विवरण वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें, परिवहनकर्ताओं द्वारा समय पर उठाव कर परिवहन कार्य पूरा किया गया अगर नहीं तो क्यों उस पर कब-कब कौन-कौन सी कार्यवाही की गई बतावें अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों, परिवहनकर्ताओं/ठेकेदारों को शासन के आदेश किन शर्तों पर दिये जाने के थे प्रति देते हुये बातवें ? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के तारतम्य में श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय मुख्य कार्यपालन अधिकारी / महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता से संबंधित शिकायत मुख्य सचिव म०प्र० शासन भोपाल को पत्र क्रमांक 564/ शिकायत / 2024 दिनांक 10.10.2024, प्रमुख सचिव सहकारिता को पत्र क्रमांक 492/शिकायत / 2024 रीवा दिनांक 19.09.2024 के द्वारा की गई थी इनके विरूद्ध थाना अमरपाटन जिला सतना में दिनांक 07.06.2018 को 48 करोड़ 78 लाख 32 हजार 546 रूपये के फर्जी ऋण वितरण एवं फर्जी बीमा क्लेम की राशि गवन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया फिर भी संबंधित को महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ कर कार्य क्यों लिया जा रहा है इनको अन्यत्र हटाते हुये जांच बावत क्या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों ? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार उल्लेखित तथ्यों पर कार्यवाही न करने, पत्रों का समय पर निराकरण न करने के जिम्मेदारों की पहचान कर क्या कार्यवाही के निर्देश देंगे साथ ही पत्रों पर समय पर कार्यवाही बावत भी निर्देश देंगे तो बतावें अगर नहीं तो क्यों ?

Reply By : **FOOD & CIVIL SUPPLIES** | Digitally Sign Date : **24/02/2025 05:57:25** | Status: **Final**

खाद्य मंत्री :

(क) समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं उपार्जन हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी नीति में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है उपार्जन नीति की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** वर्ष 2020 से रबी एवं खरीफ मौसम में धान एवं गेहूं उपार्जन हेतु स्थापित उपार्जन केन्द्रों के स्थान, उपार्जन केन्द्र संचालन करने वाली संस्था की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।** महिला स्व-सहायता केन्द्रों पर पाई गई अनियमितिता एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** (ख) जी हां। विधानसभा क्षेत्र सैमराया में सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुम्हारा, जुडवानी, बम्हनों, गडोहा, भमरा द्वारा धान एवं गेहूं उपार्जन हेतु स्थापित केन्द्र की जांच में उपार्जन नीति के अनुसार संचालित होना पाया गया। **जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2020 से समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के परिवहनकर्ताओं से किए **गए अनुबंध में प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'य' अनुसार है।** उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन हेतु किए गए अनुवंध अनुसार परिवहनकर्ता को निर्धारित समय सीमा में खाद्यान्न का परिवहन करना होता है। निर्धारित समय सीमा में किन्ही कारणों से परिवहन न करने की स्थिति में अनुबंध की शर्त अनुसार पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। विगत तीन वर्षो के भुगतान का अंतिमीकरण किया जाना शेष है। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रीवा के सहित कुल 9 व्यक्ति/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है परन्तु, आयुक्त सहकारिता के आदेश क्र./साख/सीबी-2/81/2019/660 दिनांक 27.02.2019 से मुख्य कार्यवालन अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सहकारिता विभाग द्वारा प्रेषित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'इ' अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Attachment :